

IN THE COURT OF MUNSIF, CIVIL COURT, AURANGABAD.
Partition Suit No. 254/2022
Munna Kuer & 01 Other Vs. Tapeswar Sharma & 01 Others.

Sl. No.	Date of order of the proceeding	Order, with initials of the court	Remarks, with action taken by the office, if any.
1	2	3	4
	11-11-2022	वादी की हाजिरी है। वाद, वाद ग्रहण के बिन्दु पर निश्चित है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत वाद न्याय हित में ग्रहण किया जाय। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। वादी के द्वारा यह वाद-पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में अपने एक तिहाई हिस्से की उद्घोषणा के लिए लाया है। वादी अपने वाद के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों को दाखिल किया है:— 1- Photo copy Khesara 2. Photo copy of plaint. अभिलेख पर सिरिस्तेदार के प्रतिवेदन, वादपत्र तथा वादपत्र से संबंधित कागजातों की प्रति का अवलोकन किया तथा दिया गया न्याय शुल्क प्रतिवेदनानुसार यथेष्ट है। अतः वाद ग्रहण किया जाता है तथा वादी को आदेशित किया जाता है कि वे एक सप्ताह के अंदर तलवाने के साथ सम्मन तथा निर्बंधित डाक का अपेक्षित दाखिल करें। वाद दिनांक वास्ते प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु। लेखापित, न्यायकर्ता, व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद।	

IN THE COURT OF MUNSIF, CIVIL COURT, AURANGABAD.
Partition Suit No. 254/2022
Munna Kuer & 01 Other Vs. Tapeswar Sharma & 01 Others.

--	--	--	--